न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–09/2023

पैपूसिंह उर्फ रतनसिंह पुत्र श्री मेघसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम अंगनेउ तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल निवासी ग्राम बलवंतपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

-----प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

----- अप्रार्थी

दावा अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री मूलसिंह राठौड वकील प्रार्थी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

– : निर्णय :–

दिनांक :– 05 सितंबर 2024

1. प्रार्थी के वकील ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि वाके ग्राम अंगनेउ के चक 5 पीबीएम उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत जिला बीकानेर के मु0नं0 194/52 में कि0नं0 5ता7 में 3 बीघा, कि0नं0 12ता18 में 7 बीघा, कि0नं0 24,25 में 2 बीघा कुल 12 बीघा, मु0नं0 194/60 के कि0नं0 9ता15 में 7 बीघा, 17ता23 में 7 बीघा कुल 14 बीघा, मु0नं0 194/61 में कि0नं0 1,2व 10 में 3बीघा, मु0नं0 194/53 में कि0नं0 5 में 1 बीघा इस प्रकार कुल 4 मुरब्बा में कुल 30 बीघा भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय मुझ मिकर का घरेलू व मुंहबोला नाम पेपूसिंह पुत्र श्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी अंगनेउ तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया था जबकि मेरा दस्तावेज में नाम उक्त रिकार्ड में अंकित नाम से भिन्न है। मुझ मिकर का रिकार्ड में नाम पेपूसिंह पुत्र श्री मेघसिंह है जबकि वास्तविक नाम रतनसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी अंगनेउ तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल निवासी बलवंतपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझूनू है। वर्तमान में प्रार्थी ग्राम बलवंतपुरा तहसील नवलगढ जिला झूंझुनू में निवास कर रहा है। पेपूसिंह उर्फ रतनसिंह दोनो मुझ प्रार्थी के ही नाम है। अतः रिकार्ड में मुझ प्रार्थी का नाम रतनसिंह पुत्र श्री मेघसिंह अंकित करने की कृपा करें। अतः मेरा नाम पेपूसिह उर्फ रतनसिंह पुत्र श्री मेघसिंह का संशोधन करने की कृपा करावें।
2. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी पैरोकारराज उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत से जवाब चाहा गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

3. प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, खसरा गिरदावरी की नकल एवं ग्राम पंचायत सुरजडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

4. प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसोर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पेपूसिंह व रतनसिंह एक ही व्यक्ति का नाम है। इस नाम के दो भिन्न व्यक्ति नहीं है। अतः पेपूसिंह उर्फ रतनसिंह पुत्र श्री मेघसिंह राजपूत सा0 अंगनेउ हाल बलवंतपुरा तहसील नवलगढ जिला झूझुंनू का संशोधन किया जाता है। उक्तानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

5. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 05.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत

का प्रपत्र पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। जो उक्त दोनों नाम मय प्रार्थी